

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीतासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 99/2017 (2017/00263) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट
अनवाग

1. बालू पिता धीसा तेली निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाग

1. बालू पिता मोहन भील, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. धन्ना पिता नोला भील, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. सोहन पिता नोला भील, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. भंवर पिता जगु तेली, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. नानूराम पिता जालम तेली, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. रतन पिता रूपा जाट, निवासी सोराम जी का खेड़ा तहसील सहाड़ा।
7. नानूराम पिता जालम तेली, निवासी सोराम जी का खेड़ा तहसील सहाड़ा।
8. चतेशभुज पिता धन्ना जाट, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. लेहरू पिता भूरा जाट, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. भंवर पिता हीरा जाट, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. रतन पिता कालू जाट, निवासी नान्दशा (के) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. मानवेन्द्र पिता गोकुललाल कुमावत, निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा।
13. रमेशचन्द्र पिता गोकुललाल कुमावत, निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 10/12/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1437/1 रकबा 0.26हे0 1450 रकबा 0.28हे0 1453 रकबा 0.03हे0 1632 रकबा 0.11हे0 1200/1 रकबा 0.27हे0 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 0.95हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 323 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा


// 02 //

प्रकरण संख्या :- 103/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1437/1 रकबा 0.26हे0 1450 रकबा 0.28हे0 1453 रकबा 0.03हे0 1632 रकबा 0.11हे0 1200/1 रकबा 0.27हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.95हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

